सत्यापन के उद्देश्य :-
Object of Verification

Ans. सम्पत्तियों का सत्यापन करने का दायित्व प्रबन्धकों का होता है अतः वे यह निर्धारित कर सकते हैं कि सम्पत्ति को किस मूल्य पर दर्शाया जाए। अतः ऐसी स्थिति में अंकेक्षक का उत्तरदायित्व तो सिर्फ सम्पत्ति के मूल्यांकन सबन्धी सबूत, उनकी विद्यमानता सबन्धी बातों पर ही निर्भर करता है। अतः सम्पत्तियों एवं दायित्वों के सत्यापन के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं।

1 - सम्पत्तियों की विद्यमानता का पता करना - अंकेक्षक को यह देखना होता है कि जो सम्पत्तियां एवं दायित्व चिट्ठे में प्रदर्शित है, क्या वह वास्तव में चिट्ठे की तिथी को संस्था में भौतिक रूप से विद्यमान हैं या नहीं।

2 - कपट एवं अनियमितता का ज्ञान → सत्यापन के द्वारा खाता बहियों में होने वाले छल कपट एवं अनियमितता पर नियंत्रण लगाया जाता है।

3 - स्वामित्व एवं स्वत्वाधिकार - अंकेक्षक को यह देखना होता है कि वे सम्पत्तियां जो चिट्ठे में दिखायी गयी हैं, क्या वास्तव में चिट्ठे की तारीख को उन पर संस्था का स्वामित्व है। तथा उसे प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार है।

4 - सही मूल्यांकन - संस्था के चिट्ठे में प्रदर्शित समस्त सम्पत्तियों एवं दायित्वों के मूल्य की जांच करना भी सत्यापन का उद्देश्य होता है। क्योंकि प्रबन्धक चिट्ठे में उनका मूल्य वास्तविक मूल्य से कम या अधिक दिखाकर के भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है। सम्पत्ति के मूल्यांकन के लिए प्रतिवर्ष एक ही विधी से नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है।

5 - गणित सबन्धी शुद्धता की जांच करना - सत्यापन का उद्देश्य गणित सबन्धी शुद्धता की जांच करना भी है, क्योंकि जो राशि चिट्ठे में प्रदर्शित है क्या वह वास्तव में शुद्ध है, यदि नहीं तो क्यों नहीं?

6 — दायित्वों के सबन्ध में विश्वस्त होना → अंकेक्षक दायित्वों के सबन्ध में यह विश्वस्त होना चाहता है कि उन्हे चिट्ठे में सही मूल्य पर सम्मिलित किया गया है या नही। तथा उनमे काल्पनिक दायित्व तो शामिल नही हैं। तथा यह भी जानकारी करनी होती है कि इन दायित्वों का व्यापार से सबन्ध है अथवा नही।

7 — बन्धक या प्रभार का उचित स्पष्टीकरण (Disclosure of Mortgage & Lien) — अंकेक्षक को इस सबन्ध में ऐसी अंकेक्षण कार्यक्रम विधी (Audit Procedure) का निर्माण करना चाहिए जिससे यह पता लगाया जा सके कि सम्पत्तियों पर किसी प्रकार का प्रभार या बन्धक तो नही है। दूसरा यदि किसी सम्पत्ति पर किसी प्रकार का प्रभार है तो इस तथ्य की पूर्ण जांच कर लेनी चाहिए कि उनका पूर्ण स्पष्टीकरण वित्तिय विवरणों में किया गया है।

(8) चिट्ठे का सही होना — अंकेक्षक सत्यापन द्वारा यह पता लगाता है कि चिट्ठा सही स्थिति का विवरण देता है, अथवा नही।

(9) वास्तविक सम्पत्तियों एवं दायित्वों को ही दर्शाना — सत्यापन का उद्देश्य यह जांच करना होता है कि स्थिति विवरण में सिर्फ उन सम्पत्तियों एवं दायित्वों को नहीं दर्शाया गया है, जिनका स्वामित्व संस्था के पास नही है। उन्हे चिट्ठे से सही निरूपण किया गया है अथवा नही।

चिट्ठे में प्रदर्शित समस्त सम्पत्तियों एवं दायित्वों के सबन्ध में रखे गये उचित प्रमाण पत्रों एवं अधिकारिता की जांच अंकेक्षक द्वारा करना सत्यापन का उद्देश्य है।

END

ASHOK KUMAR SINGH
Deptt. of commerce
Shershah college, Sasaram